न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–78/2015

RCMS NO-2015|00076

उनवान –सरकार बनाम हरवेन्द्रसिंह पुत्र मुन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज)

निर्णय दिनांक –19.02.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री हरवेन्द्रसिंह पुत्र मुन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.2014 को जिरोली फाटक के पास जी.टी.रोड धौलपुर पर दूध विक्रेताओं की चैकिंग के दौरान दूध विक्रेता को रोक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा मोटर साईकिल नम्बर आर जे 11 एससी 0149 पर बंधी एल्यूमिनियम की टकियों में रखे करीव 40 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। अभियुक्त से मिश्रित दूध विक्रय का खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2014 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त 40 लीटर दूध में से 2 लीटर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी–617 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/662/एक्ट/2014/676 दिनांक 30.06.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त/अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 10.2.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को बहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका बहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/662/एक्ट/2014/676 दिनांक 30.06.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभॉति सिद्व होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी सबस्टैडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री हरवेन्द्रसिंह पुत्र मुन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1500/–रुपये (एक हजार पॉच सौ– रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्मने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। अभियुक्त/अप्रार्थी श्री हरवेन्द्रसिंह पुत्र मुन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर से उक्त

जुर्माना राशि 1500/-रू0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली हेतु तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर को लिखा जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के0 वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)